I/411420/2023

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

4- समस्त पुलिस आयुक्त / वरिष्ठ पुलिस
अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-02

लखनऊः दिनांक 13/10/2023

विषयः सार्वजनिक श्रेणी की भूमि पर बसे गरीब एवं भूमिहीन लोगों को हटाये जाने के पूर्व उनको अन्यत्र बसाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभिन्न माध्यमों से शासन के संज्ञान में आया है कि सार्वजनिक भूमि पर पूर्व से अध्यासित अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब तथा भूमिहीन व्यक्तियो जिनके पास अन्यत्र निवास का कोई उचित स्थान नहीं है, उन्हें बिना विधिक प्रक्रिया के अनुपालन के हटाया बेदखल करने, हटाये जाने और उत्पीड़न किये जाने की शिकायतें निरन्तर प्राप्त हो रही हैं।

इस संबंध में सूच्य है कि शासन द्वारा पूर्व में शासनादेश संख्या-491/एक-2- 2017-1 (सामान्य)/2017 दिनांक 16.05.2017 एवं शासनादेश संख्या-2/2018/242/एक-2- 2018-1 (सामान्य)/2017टी0सी0 दिनांक 19.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-10/एक-2-2021 -1(सामान्य)/2017टी0सी0 दिनांक 14.01.2021 (छायाप्रति संलग्न) निर्गत करते हुये यह निर्देश दिये गये हैं कि अवैध सम्पत्तियों एवं भूमाफियाओं का चिन्हीकरण तथा अतिक्रमण हटाये जाने संबंधी कार्यवाही करते समय किसी गरीब, असहाय एवं कमजोर व्यक्ति का उत्पीड़न न होने पाये तथा विधिक प्रक्रियाओं का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये। गरीबों के उत्पीड़न/शोषण के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी स्वयं प्रकरण की जांच करायेंगे तथा जांच में दोषी पाये जाने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे।

2- शासन के उपर्युक्त निर्देशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक व स्वीकार योग्य नहीं है। शासन द्वारा भी सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने के नाम पर अनुसूचित जाति/जनजाति तथा गरीब एवं निराश्रित व्यक्तियों का उत्पीडन किसी भी दशा में न किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3- इस संबंध में पुनः यह निर्देश दिये जा रहे हैं कि अवैध सम्पत्तियों एवं भूमाफियाओं का चिन्हीकरण तथा आरक्षित श्रेणी की भूमि से भी अतिक्रमण हटाये जाने संबंधी कार्यवाही करते समय अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी गरीब व्यक्ति तथा अन्य भूमिहीन एवं निराश्रित व्यक्तियों का उत्पीड़न न होने पाये। यथासम्भव उक्तवत वर्णित गरीब एवं निराश्रित व्यक्तियों के आवास की व्यवस्था किये जाने के बाद ही उनको बेदखल करने की कार्यवाही की जाये। गरीबों के उत्पीड़न/शोषण के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी स्वयं प्रकरण की जांच करेंगे तथा जांच में दोषी पाये जाने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का जिलाधिकारी द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता के लिए संबंधित जिलाधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
अपर मुख्य सचिव

Signed by सुधीर गर्ग
Date: 13-10-2023 15:36:44
Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्तानुसार गरीब एवं भूमिहीनों तथा निराश्रित व्यक्तियों के आवास की व्यवस्था कराये जाने हेतु अपने स्तर से संबंधित को निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राकेश यादव)
अनु सचिव।

www.bhartiyashashanadesh.org